2014 का विधेयक संख्या-2

राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह 21 सितम्बर, 2013 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 2012 के राजस्थान अधिनियम सं. 22 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 22) की धारा 2 के विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) "परिवाद" से, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रही किसी नीति, कार्यक्रम या स्कीम के संबंध में कोई फायदा या अनुतोष मांगने के लिए, या ऐसा फायदा या अनुतोष प्रदान करने में विफलता या विलम्ब के संबंध में, या किसी लोक प्राधिकारी के कृत्यकरण में विफलता से, या उसके द्वारा राज्य में प्रवृत्त किसी विधि, नीति, आदेश, कार्यक्रम या स्कीम के अतिक्रमण से उदभूत किसी मामले के संबंध में, किसी नागरिक या नागरिकों के समूह द्वारा लोक सुनवाई अधिकारी को किया गया कोई आवेदन अभिप्रेत है किन्तु इसमें किसी लोक सेवक, चाहे वह सेवारत हो या सेवानिवृत्त, के सेवा मामलों से संबंधित, या किसी ऐसे मामले से संबंधित, जिसमें किसी न्यायालय या अधिकरण को अधिकारिता हो, या किसी न्यायिककल्प प्राधिकारी के

समक्ष लम्बित किसी अपील से संबंधित, कोई शिकायत सम्मिलित नहीं है;"।

3. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश सं. 21) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012, ऐसी प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए अधिनियमित किया गया था कि नागरिकों की शिकायतों को प्रभावी रूप से और एक समयबद्ध रीति से उनके निकटतम स्थानों पर सुनवाई सुनिश्चित की जाये। पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (क) में अन्य बातों के साथ-साथ, शब्द ''परिवाद'' परिभाषित किया गया था जिसका अभिप्राय किसी कृत्यकरण की विफलता से या किसी विधि के अतिक्रमण से उदभूत किसी मामले में किया गया कोई आवेदन है। तथापि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के अधीन मामलों को परिवाद की परिभाषा से अपवर्जित किया गया था। क्रियान्वयन के स्तर पर इस परिभाषा का, यह अर्थान्वयन किया गया कि पूर्वोक्त अधिनियमों के अधीन परिवाद, राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के अधीन स्थापित सुगम केन्द्रों अर्थात् लोक सुनवाई सहायता केन्द्रों (एल.एस.एस. के.) पर प्राप्त नहीं किये जा सकते।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूर्वोक्त अधिनियमों के अधीन परिवाद, राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के अधीन स्थापित सुगम केन्द्रों अर्थात् लोक सुनवाई सहायता केन्द्रों (एल.एस.एस. के.) पर भी प्राप्त किये जायें और ऐसे मामलों के सिवाय, जिनमें किसी न्यायालय या अधिकरण को अधिकारिता हो या जहां किसी न्यायिककल्प प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील लंबित हो, कृत्यकरण की विफलता या किसी विधि के अतिक्रमण के समस्त मामलों में नागरिकों की सुनवाई की जा सके, ''परिवाद'' की परिभाषा को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित था।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 21 सितम्बर, 2013 को राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश सं. 21) प्रख्यापित किया जो

राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4 (ख) में दिनांक 21 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

वसुन्धरा राजे,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012
(2012 का अधिनियम सं. 22) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX XX XX

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "परिवाद" से, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रही किसी नीति, कार्यक्रम या स्कीम के सम्बन्ध में कोई फायदा या अनुतोष मांगने के लिए, या ऐसा फायदा या अनुतोष प्रदान करने में विफलता या विलम्ब के सम्बन्ध में, या किसी लोक प्राधिकारी के कृत्यकरण में विफलता से, या उसके द्वारा राज्य में प्रवृत्त किसी विधि, नीति, आदेश, कार्यक्रम या स्कीम के अतिक्रमण से, उदभूत किसी मामले के सम्बन्ध में, किसी नागरिक या नागरिकों के समूह द्वारा लोक सुनवाई अधिकारी को किया गया कोई आवेदन अभिप्रेत है किन्तु इसमें किसी लोक सेवक, चाहे वह सेवारत हो या सेवानिवृत्त, के सेवा मामलों से संबंधित या किसी ऐसे मामले से संबंधित, जिसमें किसी न्यायालय या अधिकरण की अधिकारिता हो या सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं.22) के अधीन किसी मामले या राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं.23) के अधीन अधिसूचित सेवाओं से संबंधित शिकायत सम्मिलित नहीं है;

(ख) से (ठ) XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX XX

Bill No. 2 of 2014

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN RIGHT TO HEARING (AMENDMENT) BILL, 2014

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to amend the Rajasthan Right to Hearing Act, 2012.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Right to Hearing (Amendment) Act, 2014.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 21st September, 2013.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 22 of 2012.- For the existing clause (a) of section 2 of the Rajasthan Right to Hearing Act, 2012 (Act No. 22 of 2012), the following shall be substituted, namely:-

"(a) "complaint" means any application made by a citizen or a group of citizens to a Public Hearing Officer for seeking any benefit or relief relating to any policy, programme or scheme run in the State by the State Government or the Central Government, or in respect of failure or delay in providing such benefit or relief, or regarding any matter arising out of failure in the functioning or violation of any law, policy, order, programme or scheme in force in the State by, a public authority but does not include grievance relating to the service matters of a public servant, whether serving or retired, or relating to any matter in which any Court or Tribunal has jurisdiction or relating to any appeal pending before a quasi-judicial authority;".

3. Repeal and Savings.- (1) The Rajasthan Right to Hearing (Amendment) Ordinance, 2013 (Ordinance No. 21 of 2013) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Rajasthan Right to Hearing Act, 2012 was enacted to provide for mechanism to ensure that the grievances of citizens are heard effectively and in a time bound manner at their nearest places. In clause (a) of section 2 of the aforesaid Act the word "complaint" was defined *inter-alia* to mean any application made regarding any matter arising out of failure in the functioning or violation of any law. However the matters under the Right to Information Act, 2005 and the Rajasthan Guaranteed Delivery of Public Services Act, 2011 had been excluded from the definition of complaint. This definition was construed at implementation level to the effect that complaint under the aforesaid Acts can not be received at the Facilitation Centres i.e. Lok Sunwai Sahayata Kendras (LSSKs) established under the Rajasthan Right to Hearing Act, 2012.

To ensure that complaints under the aforesaid Acts are also received at the Facilitation Centres i.e. Lok Sunwai Sahayata Kendras (LSSKs) established under the Rajasthan Right to Hearing Act, 2012 and the citizens may be provided hearing in all cases of failure in functioning or violation of any law except in cases in which any Court or Tribunal has jurisdiction or where any appeal is pending before a quasi-judicial authority, the definition of "complaint" was proposed to be amended suitably.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, she, therefore, promulgated the Rajasthan Right to Hearing (Amendment) Ordinance, 2013 (Ordinance No. 21 of 2013) on 21st September, 2013, which was published in the Rajasthan Gazette, Extraordinary, Part-IV (B), dated 21st September, 2013.

The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

वसुन्धरा राजे,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN RIGHT TO HEARING ACT, 2012

(Act No. 22 of 2012)

XX XX XX XX

2. Definition.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "complaint" means any application made by a citizen or a group of citizens to a Public Hearing Officer for seeking any benefit or relief relating to any policy, programme or scheme run in the State by the State Government or the Central Government, or in respect of failure or delay in providing such benefit or relief, or regarding any matter arising out of failure in the functioning of, or violation of any law, policy, order, programme or scheme in force in the State by, a public authority but does not include grievance relating to the service matters of a public servant, whether serving or retired, or relating to any matter in which any Court or Tribunal has jurisdiction or relating to any matter under Right to Information Act, 2005(Central Act No. 22 of 2005) or services notified under the Rajasthan Guaranteed Delivery of Public Services Act, 2011(Act No. 23 of 2011);

(b) to (l) xx xx xx xx

XX XX XX XX

2014 का विधेयक सं.-2

राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रदीप कुमार शास्त्री,
विशिष्ट सचिव।

(वसुन्धरा राजे, **प्रभारी मंत्री)**

Bill No. 2 of 2014

THE RAJASTHAN RIGHT TO HEARING (AMENDMENT) BILL, 2014

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to amend the Rajasthan Right to Hearing Act, 2012.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRADEEP KUMAR SHASTRY,
Special Secretary.

(Vasundhara Raje, **Minister-Incharge**)